

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
सत्यमेव जयते  
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-16042020-219060  
SG-DL-E-16042020-219060

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

|         |                                                     |                           |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| सं. 72] | दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 2020/चैत्र 27, 1942 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 05 |
| No. 72] | DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 2020/CHAITRA 27, 1942    | [N.C.T.D. No. 05          |

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग  
(दिल्ली जल बोर्ड)

अधिसूचना

दिल्ली, 14 अप्रैल, 2020

सं. फा. 16(1)/श.वि./डब्ल्यू/2000-2001/721.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम 4) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (vii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत इस सरकार की दिनांक 6 अप्रैल, 1998 की अधिसूचना सं. फा. 16(1)/श.वि./दि.ज.बोर्ड/98-99/4199 के अनुसार गठित दिल्ली जल बोर्ड में श्री शलभ कुमार, सदस्य (जल आपूर्ति) की कार्यावधि को 11 अप्रैल, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए आगे बढ़ाते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
हरजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी (जल)

**DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT****(Delhi Water Board)****NOTIFICATION**

Delhi, the 14th April, 2020

**F. No. 16(1)/UD/W/2000-2001/721.**—In exercise of the powers conferred by clause (vii) of sub-section (2) Section 3 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act 4 of 1998), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to extend the term of Sh. Shalabh Kumar, Member (Water Supply) for a further period with effect from 11<sup>th</sup> April, 2020 to 31<sup>st</sup> December, 2020 in the Delhi Water Board, Delhi Constituted *vide* this Government's Notification No. F.16 (1)/UD/DWB/98-99/4199, dated 6<sup>th</sup> April, 1998 under clause (vii) of Sub Section (2) of Section 3 of the said Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
HARJEET SINGH, Section Officer (Water)